(iv) protection of consumers interest; and

(v) electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय।

आयोग की आज्ञा से,

नीरज सती,

सचिव।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2023 ई0

उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (हरित उर्जा उन्मुक्त अभिगमन) विनियम, 2023

सं. एफ-9(35)/आरजी/यूईआरसी/2023/779 — विद्युत् अधिनियम 2023 (2023 का 36) की धारा 39,40,42 और 86 के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन:

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन) विनियम, 2023 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
(यह विनियम सरकारी गजट दिनांक 04 नवम्बर 2023 में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा)

2. परिभाषाएं और निर्वचन:

1. इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "बैंकिंग" से ग्रिड मे अन्तःक्षेपित अधिशेष हरित ऊर्जा अभिप्रेत है और हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञसिधारी ऊर्जा में जमा की जाती है और इससे अतिरिक्त लागतों, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति के लिए प्रभारों के साथ लिया जाएगा;

(ग) "बिलिंग चक्र" का तात्पर्य आयोग द्वारा अनुमोदित अवधि, जिसके लिए नियमित रूप से विद्युत बिलों को विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किया जाना है, से है;

(घ) "केन्द्रीय नोडल अभिकरण" से नियमों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) "सीईआरसी" से केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(च) "आयोग" से उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(छ) "डे अहेड बाजार" (डीएएम) से वह बाज़ार अभिप्रेत है जहाँ पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर डे अहेड संविदायें संव्यवहारित होती हैं;

(ज) "डीएसएम विनियमों" से उविनिआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बंधित मामले) विनियम, 2017 और उसके पश्चात् हुए कोई संशोधन अभिप्रेत हैं;

(झ) "विनियामकों का मंच" (एफओआर) से अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (2) में संदर्भित मंच अभिप्रेत है;

(ञ) ''जीवाश्म ईंधन'' से कोयला, लिगनाईट गैस, तरल ईंधन या इनके संयोजनो ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए ताप विद्युत स्टेशन में किया जाता है;

(ट) "जीओएआर पोर्टल" से हरित उन्मुक्त अभिगमन रजिस्ट्री पोर्टल अभिप्रेत है जो कि हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन हेतु रजिस्टर और आवेदन करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल है;

(ठ) ''हरित ऊर्जा'' से ऊर्जा जिसमें हाइड्रो ओर भंडारण (यदि भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करता है) या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित किसी अन्य प्रौद्योगिकी सहित, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हरित हाइड्रोजन या हरति अमोनिया के उत्पादन सहित जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई तंत्र भी सम्मिलित होगा;

(ड) ''हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता (संक्षेप में उपभोक्ता)'' से ऐसा उपभोक्ता, व्यापारी, वितरण अनुज्ञापी या एक उत्पादन कंपनी अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन हरति ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्रदान की गई है;

(ढ) "आईईजीसी" से केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत् ग्रिड कोड) विनियम, 2023 और इसके संशोधन अभिप्रेत हैं;

(ण) "नॉन पीक आवर्स" से समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित पीक आवर्स से अन्य घंटे अभिप्रेत हैं;

(त) "नियमों" से विद्युत् (हरित उर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 और इसके पश्चातवर्ती संशोधन अभिप्रेत हैं;

(थ) "स्टैंडबाई प्रभार'' से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई आपातोपयोगी व्यवस्था की तुलना में उन्मुक्त हरित अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू प्रभार अभिप्रेत हैं, यदि उन्मुक्त हरित अभिगमन उपभोक्ता उत्पादन स्रोतों से विद्युत उत्पात करने में असमर्थ हैं, जिन स्रोतों के साथ उत्पादक, पारेषण परिसंपत्तियों और इसी तरह की अन्य कटौतियों के कारण विद्युत उत्पात करने के लिए उनके अनुबन्ध हैं;

(द) "राज्य ग्रिड कोड" से उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 और इसके पश्चातवर्ती संशोधन अभिप्रेत हैं.

(ध) "आपूर्ति संहिता" से उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना तथा सम्बंधित मामले) विनियम, 2020 और पश्चातवर्ती कोई संशोधन अभिप्रेत हैं;

(न) ''समय खण्ड" से प्रत्येक 15 मिनट का ऐसा खण्ड अभिप्रेत है जिसके लिऐ 00.00 बजे से प्रथम समय खण्ड आरम्भ हो कर विशिष्ट विद्युत मानदंडों के मूल्यों को विशेष ऊर्जा मीटर्स द्वारा रिकार्ड किया जाता है;

वे शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां उपयोग में लाये गये हैं और परिभाषित नहीं किये गये हैं किंतु अधिनियम में अथवा आयोग द्वारा जारी अन्य विनियमों में परिभाषित किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम अथवा आयोग द्वारा जारी ऐसे विनियमों में उन के लिये नियत किया गया है।

3. परिधि:

ये विनियम हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली (आईएएसटीएस) या वितरण प्रणाली या दोनों पर संयोजन तथा उन्मुक्त अभिगमन उपयोग के लिए अनुमति देने के लिए लागू होंगे, जिसमें प्रणाली का ऐसे समय पर उपयोग भी सम्मिलित है जब इसे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ संयोजित कर उपयोग किया जाये।

परन्तु एक उत्पादन केंद, एक कैप्टिव संयंत्र या एक उपभोक्ता दीर्घावधि, मध्यावधि या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक

कि उसके पास कनेक्टिविटी न हो या वह यथास्थिति, राज्यान्तर्गत पारेषण अथवा वितरण प्रणाली के पास कनेक्टिविटी हेतु आवेदन न करे।

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति कनेक्टिविटी के साथ-साथ दीर्घावधि या मध्यम अवधि या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन के लिए एक साथ आवेदन कर सकेगा।

परन्तु यह भी कि हरित ऊर्जा उत्पादन, क्रय और उपभोग के सम्बन्ध में कनेक्टिविटी और उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने की अन्य शर्तें, जिनके लिए इन विनियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं बनाये गए हैं, उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015, उविनिआ (नवीकरणीय उर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन केन्द्रों से विद्युत् की आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) विनियम, 2018 और उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बंधित मामले) विनियम, 2017 तथा इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के उपबंधों के अनुसार होंगी।

4. हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के लिए योग्यता मानदंडः

उपभोक्ता जिनकी अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युतखंड में स्थित एकल संयोजन के माध्यम से सौ किलोवाट या उससे अधिक है या एक उपभोक्ता के नाम पर बहुविधकनेक्शनों के माध्यम से सौ किलोवाट या उससे अधिक है, वे हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से विद्युत लेने के पात्र होंगे तथा हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के अधीन विद्युत लेने/देने वाले कैप्टिव उपभोक्ताओं, नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादकों इत्यादि के लिए विद्युत आपूर्ति की कोई सीमा नहीं होगी;

परन्तु उपभोक्ता एक दिन में न्यूनतम 12 समय खण्डों के लिए अनुमोदित क्षमता/अनुसूची अनिवार्य रूप से रखेगा।

परन्तु आगे यह भी कि अनुमोदित क्षमता/अनुसूची से कोई विचलन उविनिआ डी॰एस॰एम॰ विनियमों के अनुसार प्रभारों के अधीन होगा।

5. नोडल अभिकरणः

राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) उत्तराखंड द्वारा लघु-अवधि (एक माह तक) हेतु हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए नोडल अभिकरण होगा और राज्य पारेषण यूटिलिटी, मध्यम अवधि (तीन माह से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम अवधि) और दीर्घावधि (12 वर्ष से अधिक किन्तु 25 से कम अवधि) हेतु हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए नोडल अभिकरण होगी।

6. हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए प्रक्रियाः

(1) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के लिए संयोजिता प्रदान करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें आवेदन प्रारूप और लागू बैंक गारंटी/शुल्क/प्रभार इत्यादि सम्मिलित हैं, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर नोडल अभिकरण द्वारा तैयार की जाएगी और उसे अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के पंजीकरण हेतु सभी प्रकार से पूर्ण सभी आवेदन केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा स्थापित पोर्टल पर जमा किये जायेंगे और ये आवेदन आगे एसएलडीसी को भेजे जायेंगे।

(3) एसएलडीसी द्वारा जीओएआर पोर्टल पर पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करेगा और नए आवेदनों पर 5 कार्य दिवस के भीतर तथा पंजीकरण नवीनीकरण हेतु 2 कार्य दिवस के भीतर हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के आवेदनों पर संस्तुति देगा।

परन्तु पंजीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति के पश्चात, एसएलडीसी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, प्रारंभिक समीक्षा करेगा। किसी विसंगति/कमी होने या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने पर एसएलडीसी 2 कार्य दिवस के भीतर विसंगति में सुधार हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदक को सूचना देगा. यदि आवेदक 2 कार्यदिवस के भीतर अपेक्षित विवरण के साथ एसएलडीसी को उत्तर नहीं देता है तो पंजीकरण के निवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने के लिए आवेदन जीओएआर पोर्टल के माध्यम से केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जा सकता है।

(5) सम्बंधित नोडल अभिकरण, आवेदन की तिथि से 15 कार्यदिवस के भीतर रजिस्टर्ड ग्राहकों के हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने हेतु आवेदन को अनुमोदित करेगी, ऐसा न कर पाने पर आवेदन अनुमोदित कर लिया माना जायेगा।

परन्तु हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के लिए ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही का आदेश प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम होगा।

(6) लघु-अवधि और मध्यम-अवधि उन्मुक्त अभिगमन तभी अनुमन्य होगी जब बिना किसी वृद्धि के पारेषण प्रणाली में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो, जब कि दीर्घ-अवधि उन्मुक्त अभिगमन के लिए यदि आवश्यक हो तो पारेषण प्रणाली में वृद्धि की जाएगी।

परंतु यदि अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो तो, विद्यमान प्रणाली में दीर्घावधि को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके अतिरिक्त, गैर- जीवाश्म ईंधन स्रोतों के लिए उन्मुक्त अभिगमन को जीवाश्म ईंधन से उन्मुक्त अभिगमन पर प्राथमिकता दी जाएगी।

(7) उन्मुक्त अभिगमन के लिए किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को मामले में नोडल अभिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और उन्मुक्त अभिगमन से इनकार करने वाले सभी आदेश सकारण आदेश होंगे।

(8) नोडल अभिकरण के आदेश के विरुद्ध सभी अपील उपरोक्त उप-नियम (7) के अधीन आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आयोग के समक्ष की जाएगी।

(9) आयोग तीन महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा और उसके द्वारा जारी आदेश, पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

7. मीटरिंग:

हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता उन सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे जो समय-समय पर संशोधित सीईए (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 द्वारा निर्धारित किये गए हैं और राज्य ग्रिड कोड के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य मीटरिंग कम्युनिकेशन एवं डाटा रिक्वायरमेंट्स (एमसीडीएआर) में भी सम्मिलित हैं।

8. हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्रभार:

(1) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभार निम्नलिखित होंगे:

क) पारेषण प्रभार;

ख) व्हीलिंग प्रभार;

ग) क्रॉस सब्सिडी प्रभार;

घ) स्टैंडबाई प्रभार जहां भी लागू हो;

ङ) बैंकिंग प्रभार;

च) आवेदन शुल्क/एसएलडीसी शुल्क/प्रभार, अनुसूचीकरण प्रभार, विचलन व्यवस्थापन प्रभार और रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार।

पारेषण, व्हीलिंग और क्रॉस सब्सिडी अधिभार प्रभार के परिकलन की कार्यविधि समय-समय पर संशोधित उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) अधिनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट होगी।

इसके अतिरिक्त अनुसूचीकरण और विचलन तंत्र समय-समय पर संशोधित राज्य ग्रिड कोड और डीएसएम विनियमों द्वारा संचालित होंगे।

परंतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हुए उत्पादन संयंत्र से, हरित ऊर्जा खरीदने वाले हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के लिए क्रॉस सब्सिडी अधिभार (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करके) उत्पादन संयंत्र के प्रचालनीकरण की तारीख से बारह वर्षों के दौरान उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के वर्ष के लिए नियत अधिभार के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

परन्तु यह और कि ऐसे क्रॉस सब्सिडी प्रभार उस स्थिति में नहीं लगाये जायेंगे जब वितरण उन्मुक्त अभिगमन ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाये जो एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में स्थापित संयंत्र से हरित ऊर्जा अपने इस्तेमाल के लिए प्राप्त कर रहा होगा।

परन्तु यह भी कि वितरण अनुज्ञापी के ऐसे अंत:स्थापित उपभोक्ता जो हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन का विकल्प चाहते हों उन पर कोई अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होंगे।

परंतु यह भी कि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति किए जाने की स्थिति में क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होंगे।

परंतु यह भी कि यदि हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होंगे।

परंतु यह भी कि दिसम्बर, 2032 तक आरंभ की जा चुकी अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित और उन्मुक्त अभिगमन उपभाक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत के मामले में अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों का लगना अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों द्वारा संचालित होंगे।

(2) "स्टैंडबाई प्रभार" समय-समय पर संशोधित उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन की शर्तें और निबंधन) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट होंगे और यदि हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक ने 'डी-1' दिन, जिस में 'डी' वितरण अनुज्ञापी को स्टैंडबाई व्यवस्था हेतु ऊर्जा की डिलीवरी का दिन है, पर अगले दिन का बाज़ार बंद होने के पूर्व कम से कम एक दिन पहले लिखित में नोटिस दिया है तो ऐसे प्रभार लागू नहीं होंगे।

(3) **रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार:** हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता रिएक्टिव ऊर्जा के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित राज्य ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार भुगतान करेगा।

(4) **प्रभारों का संग्रहण:** नोडल अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट भुगतान की शर्तों और निबंधनों के अनुसार हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के सम्बन्ध में प्रभार सीधे नोडल अभिकरण और वितरण अनुज्ञापी को देय होंगे।

9. बैंकिंग सुविधा और प्रभार:

(1) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। हरित ऊर्जा उत्पादन केंद्र से अधिशेष ऊर्जा सेटआफ के पश्चात् वितरण अनुज्ञापी के पास बैंक की जाएगी।

(2) बैंकिंग सुविधा, जिसमें अधिशेष ऊर्जा का अंत:क्षेपण और एकत्रित ऊर्जा की निकासी सम्मिलित है, अनुसूचीकरण के अधीन होगी।

(3) बैंकिंग प्रभार, बैंक की गई ऊर्जा के 8% की दर से समायोजित की जाएगी।

(4) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं द्वारा एकत्रित ऊर्जा की अनुमन्य मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत की कुल मासिक खपत की कम से कम तीस प्रतिशत होगी।

(5) ऊर्जा की बैंकिंग की अनुमति केवल बिलिंग चक्र हेतु होगी:

परंतु एकत्रित ऊर्जा को जमा करने के पश्चात् के बिलिंग चक्र में अग्रनीत किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और माह के दौरान एकत्रित ऊर्जा के जमा किए जाने को उसी बिलिंग चक्र के दौरान समायोजित किया जाएगा;

परन्तु यह और कि पीक-आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) के दौरान एकत्रित ऊर्जा की निकासी पीक-आवर्स और साथ ही नॉन-पीक आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) के दौरान ऊपर उप-विनियम (3) मे निर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान के बाद अनुमान्य होगी।

परन्तु यह भी कि नॉन-पीक आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) के दौरान एकत्रित ऊर्जा को नॉन-पीक आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) के दौरान केवल बैंकिंग प्रभारों का भुगतान कर और पीक-अवर्स मे एकत्रित ऊर्जा की निकासी ऊपर उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट उपरोक्त बैंकिंग प्रभारों के अतिरिक्त पीक आवर्स ऊर्जा प्रभार दर और सामान्य घंटों की ऊर्जा प्रभार दर (जैसा कि आयोग द्वारा जारी सम्बंधित टैरिफ आदेशों में परिभाषित हैं) के अंतर के % के बराबर की दर का भुगतान करने के बाद अनुमान्य होगी।

(6) उपयोग में नहीं लाई गई अधिशेष एकत्रित ऊर्जा को प्रत्येक बिलिंग चक्र के अंत में कालातीत मान लिया जायेगा. लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन उस सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के हकदार होंगे।

(7) वितरण अनुज्ञापी इन विनियमों की अधिसूचना से 30 दिन के भीतर एक मॉडल बैंकिंग सहमतिपत्र के साथ बैंकिंग के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगा। सभी बैंकिंग लेन-देनों के ऊर्जा लेखे वितरण अनुज्ञापी द्वारा रखे जायेंगे और साप्ताहिक आधार पर एसएलडीसी के पास जमा किये जायेंगे।

10. ऊर्जा हानियाँ:

आयोग द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट पारेषण और वितरण प्रणाली की ऊर्जा हानियाँ हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों पर लागू होंगी।

11. राज्य ग्रिड कोड/आपूर्ति कोड के साथ अनुपालन:

हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक राज्य ग्रिड कोड, आपूर्ति कोड और समय-समय पर लागू सभी अन्य संहिताओं, मानकों, डी.एस.एम. विनियमों का पालन करेंगे।

12. कटौती प्राथमिकतायें:

पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली में बाधाओं के कारण कटौती में प्राथमिकताएं निम्नानुसार होंगी:

(क) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों से अन्य लघु-अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की पहले और उसके पश्चात हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की कटौती की जाएगी।

(ख) इसके पश्चात हरित उर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों से अन्य मध्यम-अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की पहले और उसके पश्चात हरित उर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की कटौती जाएगी।

(ग) इसके पश्चात हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों से अन्य दीर्घ-अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की पहले और उसके पश्चात हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की कटौती की जाएगी।

परन्तु एक श्रेणी के भीतर हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को समान कटौती प्राथमिकतायें दी जाएंगी और उनकी आनुपातिक आधार पर कटौती की जाएगी।

परन्तु यह और कि वितरण अनुज्ञापी की कटौती एक अंतिम उपाय के रूप में की जाएगी।

13. शिथिलीकरण की शक्ति:

आयोग एक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, कारण अभिलिखित कर और संभवतया प्रभावित होने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, स्वप्रेरणा से अथवा हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा इसके समक्ष आवेदन पर इन विनियमों के किन्ही उपबंधों को शिथिल कर सकता है।

14. संशोधन की शक्ति:

आयोग समय-समय पर इन विनियमों के किन्ही उपबंधों में अभिवर्धन, परिवर्तन, निलंबन, उपांतरण, संशोधन कर सकता या उन्हें निरस्त कर सकता है।

15. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति:

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग एक आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकता है जो इन अधिनियमों और विनियमों के प्रावधानों से असंगत न हों और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/496–भाग 1–क–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।